न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 124/19 (वाद)

1. श्री कुकाराम (माता कवरी) पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।

...........वादी

बनाम्

1. श्री देवीलाल (माता नकारी) पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
2. श्री भेरूलाल (माता नकारी) पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
3. श्री गणेश (माता नकारी) पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
4. श्रीमती मीराबाई (माता नकारी) पत्नी लोगर डांगी निवासी फेनियों का गुडा तह. बडगांव।
5. श्रीमती मोहनीबाई (माता नकारी) पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
6. श्रीमती नवाबाई (माता नकारी) पत्नी केसा डांगी निवासी लोयरा तह. बडगांव।
7. श्रीमती दौलीबाई (माता नकारी) पत्नी गणेश डांगी निवासी लोयरा तह. बडगांव।
8. श्रीमती गेन्दीबाई (पिता मोती) पत्नी भगा डांगी निवासी घासा हाल मजेरा तह. नाथद्वारा।
9. श्री मांगीलाल पिता जेता डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
10. श्री श्यामलाल (माता कवरी) पिता लखमा डांगी निवासी मण्डीमगरी घासा तह. मावली।
11. श्री भूरालाल (माता कवरी) पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
12. श्री बाबुलाल (माता कवरी) पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
13. श्रीमती पपुडी बाई (माता कवरी) पत्नी प्यारेलाल डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
14. श्रीमती मोहनीबाई (माता कवरी) पत्नी वरदा डांगी निवासी गंदोली तह. मावली।
15. श्रीमती डाकुबाई (माता कवरी) पत्नी वरदा डांगी निवासी गंदोली तह. मावली।
16. श्री मुकेश पिता लोगर डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
17. श्रीमती मांगीबाई (पिता लोगर) पत्नी गणेश डांगी निवासी गुडली तह. मावली।
18. श्रीमती मीना बाई (पिता लोगर) पत्नी कैलाश डांगी निवासी मटाटा तह. बडगांव।
19. श्रीमती जसोदाबाई (पिता लोगर) पत्नी पप्पु डांगी निवासी रठुजना तह. नाथद्वारा।
20. श्री दौला (माता वालकी) पिता चेना डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
21. श्री गोपाललाल (माता वालकी) पिता चेना डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
22. श्रीमती देऊबाई (माता वालकी) पत्नी केसा डांगी निवासी रामा तह. बडगांव।
23. श्रीमती माणीबाई (माता वालकी) पत्नी परथा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
24. श्रीमती जवेरीबाई (माता वालकी) पत्नी लोगर डांगी निवासी रामा तह. बडगांव।
25. श्री बाबुलाल (माता प्रताबी बाई) पिता रूपा डांगी निवासी नरदासीया तह. मावली।
26. श्रीमती मोहनीबाई (माता प्रताबीबाई) पत्नी सुखलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
27. श्रीमती सवागीबाई (माता प्रताबीबाई) पत्नी गेबा डांगी निवासी विजनवास तह. मावली।
28. श्रीमती दुर्गाबाई पत्नी रतनलाल खटीक निवासी घासा तह. मावली।
29. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी रामलाल डांगी निवासी बापेर, घासा तह. मावली।
30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
31. पटवारी, पटवार हल्का घासा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:59:43 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित—1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादी
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी [illegible] 28

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. निर्णय

दिनांक : 02.01.2023

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डी की मगरी, मौजा घासा व मौजा बापेर पटवार हल्का घासा की वादग्रस्त भूमि को वादी की पैतृक सम्पति होना बताकर भूमि में अपने हिस्से की घोषणा कराने का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 9 व 28 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वाद पत्र की कलम सं. 1 के परिशिष्ठ (क, ख, ग, घ) में अंकित कृषि भूमि को अपनी मौरूसी बताकर अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषणा कराने का यह वाद माननीय न्यायालय आपमें संस्थित किया हैं। वादी ने वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ (ग) में वर्णित आराजीयात बाबत् स्वयं ने अपने वाद पत्र की कलम सं. 6 में कथन किया है कि परिशिष्ट (ग) में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 9 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 28 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2018 को विक्रय कर भौतिक आधिपत्य सिपुर्द कर दिया है जो जरिए नामान्तरकरण सं. 37 से क्रेता प्रतिवादी सं. 28 के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हो चुका हैं। वादी द्वारा किये गये कथनानुसार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 9 ने वाद पत्र की कलम सं. एक के परिशिष्ठ (ग) में अंकित कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से को प्रतिवादी सं. 28 को विक्रय कर दी हैं। प्रतिवादी सं. 28 जाति से खटीक होकर अनुसूचित जाति वर्ग की सदस्या है। एक बार भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज होने के पश्चात् वह भूमि किसी भी सामान्य वर्ग या अन्य किसी वर्ग के सदस्य के नाम पर खातेदारी हक से अंकित नहीं हो सकती है जिसका स्पष्ट उल्लेख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी. में कर रखा हैं। ऐसी अवस्था में वादी द्वारा अनुसूचित जाति की सदस्या क्रेता प्रतिवादी सं. 28 के विरूद्व माननीय न्यायालय से दाद प्राप्ति बाबत् जो वाद प्रस्तुत किया है वह विधि द्वारा वर्जित होकर निरस्तनीय हैं तथा इसी प्रतिवादीयां के विरूद्व इसी कृषि भूमि के सम्बन्ध में गेन्दीबाई द्वारा आप न्यायालय में एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया था जिसके प्रकरण संख्या 184 सन् 2018 (वाद) हैं जिसमें क्रेता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 23.08.2019 को वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाया गया है जिसका ज्ञान इस वाद के वादी को भी हैं फिर भ्झी पुनः नाजायज रूप से तंग परेशान एवं जलील करने की बदयान्ति से सोची समझी साजिश के तहत् षडयन्त्र रचकर उक्त मिथ्या प्रकरण पुनः प्रस्तुत कर दिया है जो विधि विरूद्व हैं। वादी ने जो वाद न्यायालय हाजा में मौरूसी कृषि भूमि में हक अधिकारों का सृजन बाबत् प्रस्तुत किया है वह पूर्ण रूप से विधि द्वारा वर्जित होकर खारिज होने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं. 9 एवं 28 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर सव्यय खारिज फरमाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:59:43 IST
Reason: SelfAttested

2. वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने अपने वाद की कलम नम्बर 6 में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 9 को अपने 1/6 हिस्से से अधिक भूमि को प्रतिवादी संख्या 28 व 29 को विक्रय करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है क्योंकि वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 27 की मौरूसी जायदाद है व मौरूसी जायदाद में प्रतिवादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा ही हैं। जिसका वर्णन वादी ने अपने वाद की कलम नम्बर 4 में कर रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम सम्पूर्ण आराजीयात दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 9 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि अर्थात् सम्पूर्ण हिस्सा नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 28 व 29 को विक्रय कर दिया जो वादी के मुकाबले बेअसर व शून्य है। वादी ने अपने वाद की कलम सं. 6 में कही पर भी यह अंकित नहीं किया है कि प्रतिवादी सं. 9 ने सम्पूर्ण आराजीयात का कब्जा प्रतिवादी सं. 28 को सिपूर्द कर दिया हो। जबकि प्रतिवादी सं. 9 ने परिशिष्ट ग में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 29 को विक्रय की है जो वादी के मुकाबले बेअस व शून्य है तथा विवादित आराजीयात का अभी तक बंटवाडा नहीं हुआ है तथा बिना बंटवाडा कराए प्रतिवादी सं. 9 अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय हस्तान्तरण नहीं कर सकता है, न ही किसी को बिना बंटवाडा कराए कब्जा सिपूर्द कर सकता है तथा ऐसे नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 28 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि प्रतिवादी सं. 28 स्ट्रेजर परचेजर है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी सं. 28 को विवादित आराजीयात में कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं हैं।
3. वादी वाद वर्णित आराजीयात को अपनी मौरूसी जायदाद बताकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया है वादी अपनी मौरूसी जायदाद में अपने हिस्से की घोषणा कराना चाहता है तथा प्रतिवादी सं. 9 ने परिशिष्ट ग में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 28 को विक्रय की है जो वादी के मुकाबले बेअसर व शून्य है तथा वादी प्रतिवादी सं. 28 की मौरूसी आराजीयात से कोई घोषणा का वाद नहीं लाया है क्योंकि वादी ने अपने वाद की कलम नम्बर 2 में खानदान का सजरा बताया है तथा वादी ने वादग्रस्त आराजीयात अपने मौरूस मोती के समय की होना बताया व मोती के समय का दस्तावेज पेश किया है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी का यह कहना कि धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन हुआ हो क्योंकि प्रतिवादी सं. 28 जो ए सी का है तथा विवादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 28 की मौरूसी जायदाद की आराजीयात से अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाता तो धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी के तहत् घोषणा का वाद प्रतिबन्धीत था ऐसी अवस्था में प्रतिवादी सं. 28 का कथित प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है तथा प्रतिवादी ने उक्त जमीन के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रकरण संख्या 184/18 वाद में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पूर्व में निस्तारीत हो गया है जिसकी जानकारी वादी को नहीं है, न ही वादी को उक्त प्रकरण की जानकारी है, वादी अपनी मौरूसी जायदाद में अपने हिस्से की आराजीयात के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद लेकर आया है तथा प्रकरण संख्या 184/18 में निर्णय दिनांक 26.08.2019 के विरूद्ध अपील न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां विचाराधीन है जिसकी जानकारी वादी को न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के [illegible] जिससे हुई हैं। प्रतिवादी सं. 28 स्वयं यह तो मानती है कि वादी का वाद [illegible] पैतृक कृषि भूमि से सम्बन्धित है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:59:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र वहां लागु होता है जहां वादी के वाद की प्लीडिंग से वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित हो। यहां वादी का वाद वादी के वाद की प्लीडिंग के आधार पर विधि से वर्जित नहीं है तथा प्रतिवादी को यदि कोई उजर लेना है तो वह अपने जवाब दावें में ले सकता है तथा जवाब दावें के आधार पर तनकीयात बनाकर यदि कोई कानुनी तनकी बनती है तो प्रारम्भिक तनकी के रूप में तय की जा सकती है। ऐसी अवस्था में वादी का वाद बार्ड बाई लॉ नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी ने केवल मात्र वाद को लम्बा करने की नियत से तथा अपना जवाब दावा समय पर प्रस्तुत नहीं कर गलत आधार पर कथित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो सव्यय निरस्त फरमाया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ)जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष मोती के नाम दर्ज थी। जो मोती की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र जेता के नाम पर दर्ज हो गई। जेता की मृत्यु के पश्चात् भूमि प्रतिवादी सं. 9 के नाम दर्ज हो गई। वादग्रस्त भूमि में मोती के वारिस कवरीबाई के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से कुकाराम माता कवरी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं। मूल पुरूष मोती की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया एवं यह भी नहीं बताया कि मोती की मृत्यु कब हुई हैं। वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी सं. 9 खातेदार होने से प्रतिवादी सं. 9 द्वारा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2018 से प्रतिवादी सं. 28 श्रीमती [illegible] बाई पत्नी रतनलाल खटीक को विक्रय कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:59:43 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा सिपूर्द कर दिया हैं। इसी विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 28 का नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज हैं। चूंकि वादी सामान्य वर्ग से होकर वादग्रस्त भूमि में हिस्सें की घोषणा चाह रहा हैं जबकि उक्त भूमि का विक्रय होकर उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 28 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 28 अनुसूचित जाति वर्ग की श्रेणी में आते हैं। जब तक वादीं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तब तक वादी को अपने हिस्सें की खातेदारी घोषणा दिया जाना सम्भव नहीं हैं। यदि अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य के नाम दर्ज भूमि को सामान्य वर्ग के सदस्य के नाम खातेदारी हक से अंकित कराई जाती है तो यह स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी का उल्लंघन होगा। वादी जब तक सक्षम न्यायालय से उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करवा लेती तब तक इस न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 184/2018 वाद गेन्दीबाई बनाम मांगीलाल उक्त वादग्रस्त आराजीयात से सम्बन्धित होकर उक्त प्रकरण में दिनांक 26.08.2019 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जा चुका हैं एवं वादी/अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में 184/18 की अपील माननीय भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के यहां अपील विचाराधीन होना बताया हैं। अतः ऐसी स्थिति में यदि उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो इससे समान प्रकरणों में दोहरी स्थिति उत्पन्न होगी। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 9 एवं 28 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रतिवादी सं. 9 एवं 28 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:59:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री कुकाराम (माता कवरी) पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री देवीलाल (माता नकारी) पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
2. श्री भेरूलाल (माता नकारी) पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
3. श्री गणेश (माता नकारी) पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
4. श्रीमती मीराबाई (माता नकारी) पत्नी लोगर डांगी निवासी फेनियों का गुडा तह. बडगांव।
5. श्रीमती मोहनीबाई (माता नकारी) पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
6. श्रीमती नवाबाई (माता नकारी) पत्नी केसा डांगी निवासी लोयरा तह. बडगांव।
7. श्रीमती दौलीबाई (माता नकारी) पत्नी गणेश डांगी निवासी लोयरा तह. बडगांव।
8. श्रीमती गेन्दीबाई (पिता मोती) पत्नी भगा डांगी निवासी घासा हाल मजेरा तह. नाथद्वारा।
9. श्री मांगीलाल पिता जेता डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
10. श्री श्यामलाल (माता कवरी) पिता लखमा डांगी निवासी मण्डीमगरी घासा तह. मावली।
11. श्री भूरालाल (माता कवरी) पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
12. श्री बाबुलाल (माता कवरी) पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
13. श्रीमती पपुडी बाई (माता कवरी) पत्नी प्यारेलाल डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
14. श्रीमती मोहनीबाई (माता कवरी) पत्नी वरदा डांगी निवासी गंदोली तह. मावली।
15. श्रीमती डाकुबाई (माता कवरी) पत्नी वरदा डांगी निवासी गंदोली तह. मावली।
16. श्री मुकेश पिता लोगर डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
17. श्रीमती मांगीबाई (पिता लोगर) पत्नी गणेश डांगी निवासी गुडली तह. मावली।
18. श्रीमती मीना बाई (पिता लोगर) पत्नी कैलाश डांगी निवासी मटाटा तह. बडगांव।
19. श्रीमती जसोदाबाई (पिता लोगर) पत्नी पप्पु डांगी निवासी रठुजना तह. नाथद्वारा।
20. श्री दौला (माता वालकी) पिता चेना डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
21. श्री गोपाललाल (माता वालकी) पिता चेना डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
22. श्रीमती देऊबाई (माता वालकी) पत्नी केसा डांगी निवासी रामा तह. बडगांव।
23. श्रीमती माणीबाई (माता वालकी) पत्नी परथा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
24. श्रीमती जवेरीबाई (माता वालकी) पत्नी लोगर डांगी निवासी रामा तह. बडगांव।
25. श्री बाबुलाल (माता प्रताबी बाई) पिता रूपा डांगी निवासी नरदासीया तह. मावली।
26. श्रीमती मोहनीबाई (माता प्रताबीबाई) पत्नी सुखलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
27. श्रीमती सवागीबाई (माता प्रताबीबाई) पत्नी गेबा डांगी निवासी विजनवास तह. मावली।
28. श्रीमती दुर्गाबाई पत्नी रतनलाल खटीक निवासी घासा तह. मावली।
29. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी रा[illegible] घासा तह. मावली।
30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:59:43 IST
Reason: SelfAttested

31. पटवारी, पटवार हल्का घासा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 124/19 (वाद) GCMS No. : 2019/00242

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी सं. 9 एवं 28 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.01.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:59:43 IST
Reason: SelfAttested